

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अप्रैल मा. १२/१४ जिला ९
उत्तरगढ़, राजस्थान पा. ३५-५०८०८०, राजस्थान

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

१२.१.१५

एकलपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

वकील प्रार्थी श्री गौतम टांक एवं विभागीय प्रतिनिधि
श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।

श्री टांक ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा
जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 –143 दिनांक
16.12.2014 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत निगरानी को
विद्वान् करना चाहते हैं। इस बाबत् श्री टांक ने प्रार्थना पत्र भी
पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि
ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

अतः श्री गौतम टांक एडवोकेट का निगरानी को विद्वान्
करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
निगरानी जरिये विद्वान् खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

४

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर